


31-12-2024

~~प्राथमिक के वकील उपस्थित। प्रमाणिकता
 2 से 6, 8 से 11 व 14 के वकील उपस्थित।
 घरोकार सरकार उपस्थित। प्राथमिक प्राथमिक
 द्वारा अपील मुस्तुत करने में हुए किलब की
 अवधि को कटौत करने हेतु मुस्तुत प्राथमिक
 अंतर्गत धारा 5 भारतीय मिथाइ अधिनियम
 को स्वीकार किया जाकर किलब की अवधि
 को समाप्त किया जाता है निर्णय अनुयाय
 गया। प्रवाली इसी मुताबिक भिन्न होकर
 वकालत के कम होकर दाखिलदस्त हो तथा
 मूल अपील प्रवाली के साथ लक्ष्य है।~~


 अति, जिला कलक्टर
 सिरोही (राज.)